

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम २६)

लय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मदन बनाम महेश्वर वर्मा


मुकदमा नं. F-7-39 सन् २०१७
2017

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
1	<p>वकील प्रार्थी श्री मुकेश बाजिया ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना-पत्र टी आई पेश किया। प्रार्थना-पत्र वर्ज रजिस्टर किया जाये। स्थगन पर बहरन वकील प्रार्थी छु-पक्षीय सुनी गई। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अपलोडन किया गया एवं बहरन वकील प्रार्थी पर सगौर मनन किया गया जिनसे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया जाने पर अप्रार्थीगण के आगामी तारीख पेशी तक आन्वाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिफ आन्वाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि आप विनादशान्त आराजी खण नं २६५८ रफ्त २.१५ हैं तन ग्राम श्यामनगर पा ए चौकड़ी का बिना विधि विभाजन करवाये रहन, बेचान आदि नही करें तथा राजस्व रिकॉर्ड की मशरिफति (as on today) बनाये रखें। प्रार्थी ०.३९, R. ०३६० पालन करें। अप्रार्थीगण को उफर आदेश गले खित करते हुए सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक १२-१२-२०१७ को पेश हो।</p>	<p>1022-26 13/11/17</p>
	<p>12/12/17</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आबजादुसिर आईन्दा दिनांक 6-2-18 को पेश हो</p>	


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज


6-2-18

पत्रावली पेश हुई। मजलाय सप.
अनुपस्थित / अतिरिक्त अधिकारी
द्वारा पेश किया गया।
दिनांक-6-3-18 को पेश 

6-3-18

पत्रावली पेश हुई। मजलाय सप.
अनुपस्थित / अतिरिक्त अधिकारी
द्वारा पेश किया गया।
पत्रावली पूर्व आदेश दिनांक-20-3-18 को पेश 

5/18

इकसवीं पेशी के आदेश
पत्रावली पेश हुई। मजलाय सप.
अनुपस्थित / अतिरिक्त अधिकारी
द्वारा पेश किया गया।
दिनांक-23-5-18 को पेश 

05
23/18

पत्रावली आज राजस्व लॉक अदालत उपस्थित :
न्याय आपके द्वारा-2018 के तहत कम्प सवल
अदालत सेवा केन्द्र चोक्ली में पेश हुई।
चूंकि ज.पत्र टी.आई. से संबंधित मूल बाध-
पत्र में आज जारमिण डिक्री जारी की जा-
चुकी है। अतः अश्लीलता को तानाशाही
केवल बाध जोर अस्वादि निषेधाद्य परक
किया जाता है कि आज विवादग्रस्त आपसी
ख. नं. 2645 लक्वा 2-15 हे. तन ग्राम थापतगा
प. ह. चोक्ली का विना विधिक विभाजन करबो
एत, बैचान आदि नही करें। राजस्व लेन
की घोषणा (as on today) कनाये लें। पत्रावली
केवल शुभार होना नम्बर से कम है तथा बाध
तकनीक दायित्व दफ्तार हो। निर्णय मपमें आज
पुनाया गया 